

प्रारंभिक परीक्षा

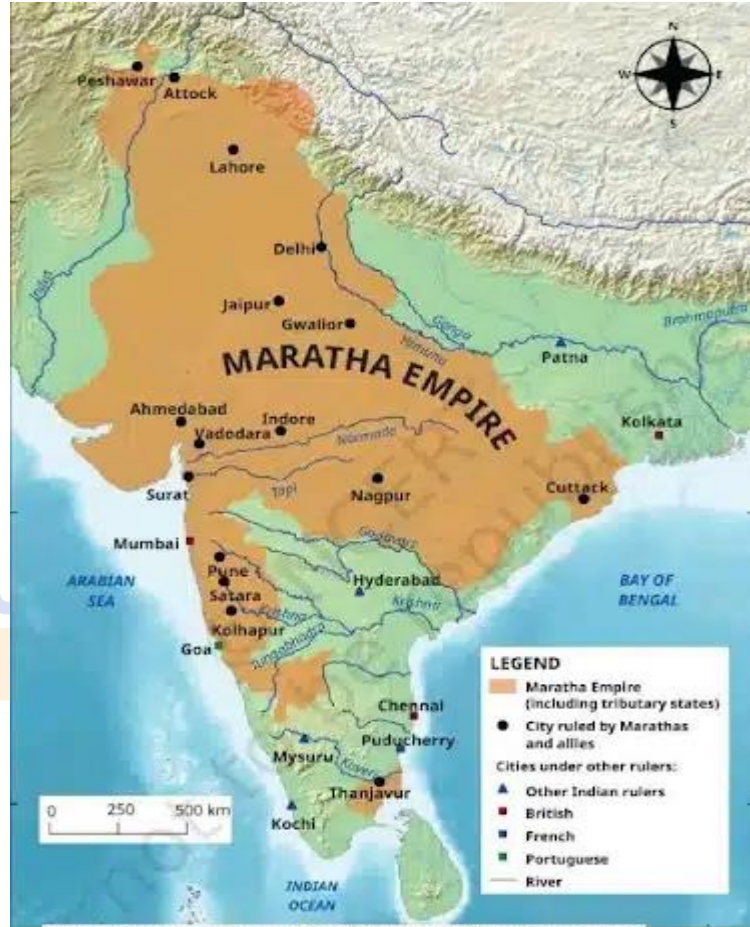
क्या जैसलमेर मराठा साम्राज्य का हिस्सा था?

संदर्भ

NCERT की कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक के मानचित्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें जैसलमेर को 1759 में मराठा साम्राज्य का हिस्सा दिखाया गया है। इतिहासकारों और पूर्व शाही परिवार का कहना है कि यह ऐतिहासिक रूप से गलत है।

मराठा विस्तार और नियंत्रण की प्रकृति -

- **उत्तरी विस्तार - पेशवा बाजीराव प्रथम** के अधीन, मराठों ने भोपाल के युद्ध के बाद मालवा को मजबूत करने के बाद राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, बुंदेलखंड, उड़ीसा, बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में विस्तार किया।
- **राजनीतिक शासन पर कर** - मराठा अक्सर स्थानीय शासकों को सत्ता में बने रहने देते थे, तथा **पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण के बिना चौथ एवं सरदेशमुखी (कर) वसूलते थे।**
- **जैसलमेर की स्थिति** - इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि जैसलमेर कभी भी मराठा शासन या कर के अधीन नहीं था; **राजस्थान में मराठा अभियानों ने जयपुर और जोधपुर को निशाना बनाया, न कि जैसलमेर या बीकानेर को।**
- **कमज़ोर कर अनुपालन** - यहां तक कि आमेर-जयपुर जैसे प्रमुख राजपूत राज्य भी नियमित रूप से कर अदा करने में विफल रहे; जैसलमेर द्वारा कर अदा करने का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है।



The controversial map in NCERT's Class 8 text book

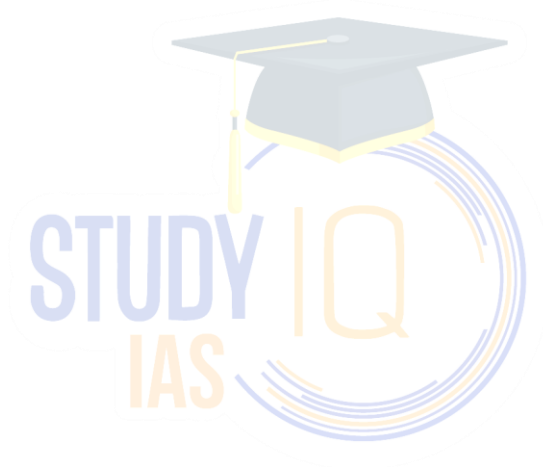
मराठा सत्ता की अपूर्ण प्रकृति -

- **अनियमित नियंत्रण** - 1730 से 1750 के बीच, मराठा प्राधिकार प्रत्यक्ष प्रशासन से लेकर कमज़ोर समझौतों तक फैला हुआ था, जिन्हें सेनाओं के वापस चले जाने के बाद आसानी से पलट दिया जाता था।
- **इतिहासकारों का दृष्टिकोण** - मराठा राजनीति को कई समकालीन शक्तियों में से एक के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि एक आदि-राष्ट्रवादी हिंदू पुनरुत्थान के रूप में।
- **वास्तविकता बनाम दावे** - मराठों ने बड़े क्षेत्रों पर संप्रभुता का दावा किया, लेकिन वास्तविक अधिकार असमान और विवादित था।

मानचित्र प्रतिनिधित्व संबंधी समस्याएँ और सुझाए गए समाधान -

- **मानचित्र आधार** - NCERT का कहना है कि मानचित्र पहले प्रकाशित स्रोतों पर आधारित है और इसमें प्रत्यक्ष नियंत्रण, सहायक राज्य और अल्पकालिक समझौते शामिल हैं।
- **अनुपस्थित अस्वीकरण** - कक्षा 7 की पुस्तकों में मौजूद "अनुमानित सीमाओं" पर एक नोट कक्षा 8 में छोड़ दिया गया था।
- **विशेषज्ञ सुझाव** - अतिसरलीकरण से बचने के लिए प्रत्यक्ष शासन, सहायक स्थिति, अस्थायी विजय और प्रभाव क्षेत्र को दिखाने के लिए अलग-अलग रंगों का उपयोग करना चाहिए।

स्रोत: [इंडियनएक्सप्रेस](#)



निकल-कॉपर-प्लैटिनम समूह तत्व (Ni--Cu-PGE)

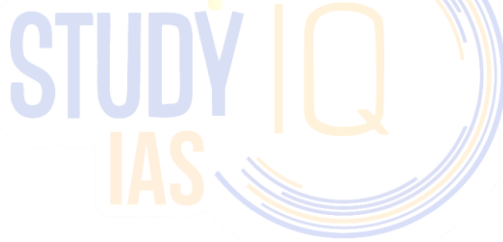
संदर्भ

छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एक प्रमुख संभावित निकल-कॉपर-प्लैटिनम समूह तत्व (Ni-Cu-PGE) खनिज क्षेत्र की खोज की गई है, जो भारत के रणनीतिक खनिज अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण सफलता है।

निकल-कॉपर-प्लैटिनम समूह तत्व (Ni-Cu-PGE) -

- ये क्या हैं
 - सल्फाइड-समृद्ध मैफिक-अल्ट्रामैफिक चट्टानों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण और रणनीतिक धातुओं का एक समूह।
 - अक्सर जटिल भूवैज्ञानिक संरचनाओं में एक साथ पाए जाते हैं।
- प्रमुख अनुप्रयोग
 - **निकल (Ni):** ईवी बैटरी, स्टेनलेस स्टील उत्पादन, एयरोस्पेस घटक।
 - **कॉपर (Cu):** विद्युत वायरिंग, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स।
 - **प्लैटिनम समूह तत्व (Pt, Pd, Rh):** उत्प्रेरक कन्वर्टर, ईंधन सेल, हरित हाइड्रोजन उत्पादन।
- सामरिक महत्व
 - स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन, रक्षा प्रौद्योगिकियों और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए महत्वपूर्ण।
- राष्ट्रीय प्रासंगिकता
 - भारत के ई.वी., इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र इन खनिजों के आयात पर बहुत अधिक निर्भर हैं।
 - महत्वपूर्ण खनिज रणनीति के अनुरूप है और शुद्ध-शून्य कार्बन लक्ष्यों का समर्थन करता है।

स्रोत: [इंडियनएक्सप्रेस](#)



अवाज़ा कार्य योजना (2024-2034)

संदर्भ

एक ऐतिहासिक रूपरेखा, अवाज़ा कार्य योजना (2024-2034), को तुर्कमेनिस्तान में स्थलबद्ध विकासशील देशों पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (LLDC3) द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया।

स्थलबद्ध विकासशील देशों पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (LLDC3) -



- **कार्यक्रम और स्थान** – “साझेदारी के माध्यम से प्रगति को बढ़ावा देना” विषय के अंतर्गत अवाज़ा, तुर्कमेनिस्तान (8 अगस्त 2025) में आयोजित किया गया।
- **मुख्य परिणाम** - अवाज़ा राजनीतिक घोषणा को अपनाना और 32 LLDC के लिए अवाज़ा कार्य योजना (2024-2034) का औपचारिक समर्थन।
- **अवाज़ा कार्य योजना - 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्र:**
 - संरचनात्मक आर्थिक परिवर्तन।
 - व्यापार और क्षेत्रीय एकीकरण।
 - परिवहन एवं बुनियादी ढांचे का विकास।
 - जलवायु अनुकूलन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण।
 - वित्तपोषण एवं साझेदारी जुटाना।

स्रोत: [संयुक्त राष्ट्र](#)

2024-25 में रेलवे दुर्घटनाएँ

संदर्भ

- भारतीय रेलवे ने परिणामी रेल दुर्घटनाओं में ऐतिहासिक रूप से निम्नतम स्तर प्राप्त किया है - 1,711 (2004-14) से 2024-25 में 31 और 2025-26 (जून तक) में केवल 3।
- प्रति मिलियन रेल किमी दुर्घटनाओं में 73% की गिरावट आई है (2014-15 में 0.11 से 2024-25 में 0.03)।

रेल दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकारी पहल (भारतीय रेलवे) -

- **कवच (ट्रेन टक्कर परिहार प्रणाली)** - टकरावों को रोकने, ओवरस्पीडिंग को नियंत्रित करने और सिग्नल अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली।
- **इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग** - रेलगाड़ियों की आवाजाही में टकराव को रोकने के लिए 2,608 स्टेशनों (2014) से 7,324 स्टेशनों (2025) तक व्यापक विस्तार।
- **ट्रेक नवीनीकरण एवं उन्नयन** - खराब हो चुकी पटरियों का निरंतर प्रतिस्थापन तथा बेहतर स्थायित्व के लिए 60 किलोग्राम भारी पटरियों का उपयोग।
- **अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन (USFD)** - रेल में छिपी दरारों को विफलता से पहले पहचानने के लिए तैनाती में वृद्धि।
- **कोहरा सुरक्षा उपकरण (FSD)** - कोहरे की स्थिति के दौरान दृश्यता और सुरक्षा में सुधार के लिए 90 उपकरणों (2014) से बढ़ाकर 25,939 (2025) किया गया।
- **पटरी से उतरने से रोकने के उपाय** - ट्रेक ज्यामिति का उन्नयन, पुलों को मजबूत करना, तथा कठोर रखरखाव व्यवस्था।
- **अग्नि सुरक्षा में सुधार** - डिब्बों में उन्नत अग्निरोधी सामग्री, बेहतर अग्नि संसूचन एवं शमन प्रणालियाँ।
- **चालक दल प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास** - लोको पायलटों के लिए सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, तथा कठोर चिकित्सा फिटनेस जांच।
- **लेवल क्रॉसिंग सुरक्षा** - ब्रॉड-गेज मार्गों पर सभी मानवरहित लेवल क्रॉसिंग को समाप्त करना, मानवयुक्त लेवल क्रॉसिंग पर चेतावनी प्रणाली की स्थापना करना।
- **सिग्नल आधुनिकीकरण** - एलईडी आधारित सिग्नल, बेहतर दृश्यता, और केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण के साथ एकीकरण।
- **रोलिंग स्टॉक उन्नयन** - बेहतर क्रेशवर्थनेस वाले एलएचबी कोच पुराने आईसीएफ डिजाइनों का स्थान लेंगे।
- **एआई और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग** - विफलताओं के घटित होने से पहले ही उनका पूर्वानुमान लगाने के लिए सेंसर और निगरानी डेटा का उपयोग करके पूर्वानुमानित रखरखाव।

स्रोत: [इंडियनएक्सप्रेस](#)

भारत छोड़ो आंदोलन

संदर्भ

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और स्वतंत्रता के लिए भारतीयों को एकजुट करने में महात्मा गांधी के नेतृत्व में उनकी भूमिका को याद किया।

भारत छोड़ो आंदोलन -

- **शुरू किया गया:** 8 अगस्त 1942
- **नेता:** महात्मा गांधी
- **नारा:** करो या मरो
- **प्रकृति:** भारत से ब्रिटिशों की तत्काल वापसी की मांग करने वाला व्यापक उपनिवेश-विरोधी आंदोलन।

पृष्ठभूमि -

- **क्रिप्स मिशन (1942)** की स्वीकार्य संवैधानिक सुधारों की पेशकश में विफलता।
- **द्वितीय विश्व युद्ध** के कारण आर्थिक कठिनाइयाँ और कमी।
- पहले के आंदोलनों (सविनय अवज्ञा, पूर्ण स्वराज की मांग) के बाद बढ़ती राष्ट्रवादी भावना।
- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की कमजोर स्थिति।

कारण -

- **ब्रिटिश सरकार का रवैया**
 - द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय समर्थन के बावजूद स्वशासन के वादे तोड़े गए।
 - **अगस्त प्रस्ताव (1940)** और **क्रिप्स मिशन (1942)** की विफलता।
 - मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मांग के प्रति ब्रिटिश सहानुभूति से राष्ट्रवादी नाराज हो गये।
- **बढ़ता राष्ट्रवाद**
 - दशकों से चल रहा संघर्ष 1942 में चरम पर पहुँच गया।
 - **कांग्रेस मंत्रिमण्डलों** के अनुभव (1937-39) ने स्वशासन का स्वाद चखाया।
 - **व्यक्तिगत सत्याग्रह (1940-41)** जैसे आंदोलनों ने इसकी नींव रखी।
- **सामाजिक-आर्थिक कारक**
 - युद्धकालीन मुद्रास्फीति, अभाव, भारी कराधान, चावल का निर्यात आदि के कारण अभाव उत्पन्न हुआ।
 - बंगाल अकाल (1943) युद्धकालीन नीतियों से जुड़ा हुआ है।
- **सैन्य कारक**
 - दक्षिण-पूर्व एशिया में ब्रिटिश की पराजय।
 - जापानी सैनिक भारतीय सीमाओं की ओर बढ़ रहे हैं।
 - बर्मा से ब्रिटिशों के पीछे हटने से असुरक्षा और बढ़ गयी।

शुरूआत -

- **14 जुलाई 1942:** वर्धा में कांग्रेस कार्यसमिति ने जन आंदोलन का निर्णय लिया।
- **8 अगस्त 1942:** बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने **भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया।**
- गांधी जी का करो या मरो का आह्वान उसी दिन दिया गया।

मांगें -

- ब्रिटिश सेना की तत्काल वापसी।
- युद्ध के बाद अनंतिम सरकार का गठन।
- स्वतंत्र भारत की घोषणा।

ब्रिटिश प्रतिक्रिया -

- 24 घंटे के भीतर गांधी, नेहरू, आज़ाद, पटेल और अन्य की गिरफ्तारी।
- कांग्रेस को एक गैरकानूनी संघ घोषित किया गया

आंदोलन की प्रकृति -

- यह सविनय अवज्ञा के रूप में शुरू हुआ लेकिन जन विद्रोह में बदल गया।
- असहयोग आंदोलन (1920-22) या सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930-34) की तुलना में अधिक उग्र और संघर्षपूर्ण।
- **गांधीजी आत्मरक्षा में हिंसा को स्वीकार करने के इच्छुक थे।**
- **चार मुख्य विशेषताएं:**
 1. राज्य के विरुद्ध हिंसा को बर्दाश्त किया गया।
 2. पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन करने वाला कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है।
 3. गिरफ्तारी के बाद छात्र नेतृत्व संभालेंगे।
 4. सरकारी प्राधिकार की पूर्ण अवज्ञा।
- गिरफ्तारी के बाद नेतृत्वविहीन → जमीनी स्तर पर नेतृत्व।
- भूमिगत गतिविधियाँ, तोड़फोड़, समानांतर सरकारें।

प्रमुख नेता और भूमिगत भूमिका -

- जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, बीजू पटनायक, सुचेता कृपलानी।
- **उषा मेहता** बम्बई में भूमिगत रेडियो चलाती थीं।

क्षेत्रीय प्रसार -

- **बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश:** छात्रों, किसानों और मज़दूरों की मज़बूत भागीदारी। नेपाल सीमा के पास जेपी नारायण की भूमिगत सरकार।
- **यूपी:** हथियारबंद ग्रामीणों ने पुलिस चौकियों पर हमला किया, कानपुर, लखनऊ, नागपुर में हड़ताल।
- **बंगाल:** विरोध प्रदर्शन, तोड़फोड़, आदिवासी और किसान आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े।
- **पश्चिमी भारत:** गुरिल्ला हमले; अहमदाबाद में "आजाद सरकार"।
- **दक्षिण भारत:** केटी भाष्यम ने बेंगलुरु में हड़ताल का नेतृत्व किया।

समानांतर सरकारें -

- **बलिया (अगस्त 1942)** - चित्तू पांडे: कांग्रेस नेताओं को मुक्त किया गया।
- **तामलुक (1942-44)** - सतीश चंद्र सामंत: राहत कार्य, स्कूल, गरीबों को धान, विद्युत वाहिनी।
- **सतारा (1943-45)** - वाईबी चव्हाण, नाना पाटिल: प्रति सरकार, न्याय मंच, निषेध, "गांधी विवाह"।

ब्रिटिश दमन -

- 100,000 से अधिक गिरफ्तार, कांग्रेस पर प्रतिबंध।
- **मौतों की संख्या:** 1,028 (आधिकारिक) से लेकर 10,000 से अधिक (अनुमान)।
- ब्रिटिशों को दमन में मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, रियासतों, नौकरशाही और सेना से समर्थन मिला।

सीमाएँ -

- तत्काल उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए।
- गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय नेतृत्व का अभाव।
- मुस्लिम लीग, सीपीआई, हिंदू महासभा, अंबेडकर, पेरियार का भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध।
- मुस्लिम भागीदारी कम; सांप्रदायिक विभाजन बढ़ा।
- सांप्रदायिक हिंसा के उदाहरण।

स्रोत: [पीआईबी](#)

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)

संदर्भ

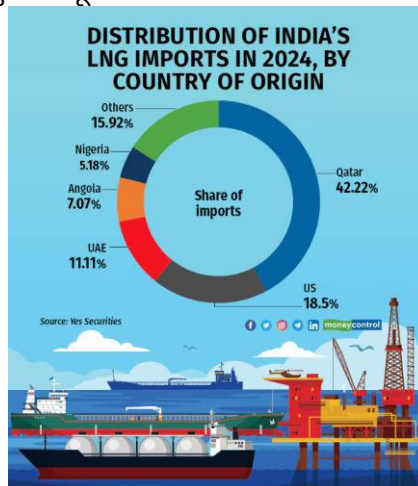
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों को प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 300 रुपये की लक्षित सब्सिडी (प्रति वर्ष अधिकतम 9 रिफिल के लिए और 5 किलोग्राम सिलेंडर के लिए अनुपातिक दर पर) देने को मंजूरी दी है, जिस पर 12,000 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

PMUY के बारे में -

- **लॉन्च: मई 2016**
- **नोडल मंत्रालय:** पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी)।
- **उद्देश्य:** ग्रामीण एवं वंचित परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन (एलपीजी) उपलब्ध कराना।
 - अशुद्ध खाना पकाने वाले ईंधन के उपयोग से होने वाली मौतों को कम करना।
 - घर के अंदर वायु प्रदूषण के कारण बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारियों को रोकना।
- **लक्षित लाभार्थी:** बीपीएल परिवारों की महिलाएं, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अति पिछड़ा वर्ग, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत आने वाले लोग आदि शामिल हैं।
- **वित्तीय सहायता:** प्रति वर्ष 9 रिफिल तक 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 300 रुपये की लक्षित सब्सिडी (और 5 किलोग्राम सिलेंडर के लिए अनुपातिक रूप से अनुपातिक)।
 - पहला रिफिल और स्टोव भी निःशुल्क प्रदान किया जाता है।
- **PMUY परिवारों द्वारा एलपीजी खपत में सुधार:** PMUY उपभोक्ताओं की औसत प्रति व्यक्ति खपत (पीसीसी) जो 2019-20 में केवल 3 रिफिल और 2022-23 में 3.68 रिफिल थी, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान लगभग 4.47 हो गई है।

संबंधित तथ्य -

- **भारत अपनी एलपीजी आवश्यकता का 60% आयात करता है।**
- 2024 में भारत के 90% से अधिक एलपीजी आयात मध्य पूर्व से आए, जिनमें सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात प्रमुख आपूर्तिकर्ता थे।



स्रोत: पीआईबी

डिजिटल कृषि मिशन (DAM)

संदर्भ

डिजिटल कृषि मिशन (DAM) ने PMFBY, RWBCIS और KCC में किसान आईडी के उपयोग के साथ गति प्राप्त की है, जो देश भर में करोड़ों किसानों और भूखंडों को कवर करता है।

डिजिटल कृषि मिशन (DAM) के बारे में -

- **लान्च और अनुमोदन:** भारत सरकार द्वारा सितंबर 2024 में अनुमोदित।
- **उद्देश्य:** कृषि के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) का निर्माण करना, जिससे एक मजबूत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र सक्षम हो सके जो नवीन, किसान-केंद्रित डिजिटल समाधान प्रदान करे।
- **मुख्य घटक:**
 - **एग्री स्टैक:** कृषि डेटा युक्त एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म।
 - **कृषि निर्णय सहायता प्रणाली:** समय पर और सूचित कृषि निर्णय लेने के लिए।
 - **व्यापक मृदा उर्वरता एवं प्रोफ़ाइल मानचित्र:** परिशुद्ध कृषि और संसाधन अनुकूलन के लिए।
 - केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अन्य आईटी पहल।
- **कृषि स्टैक आधारभूत रजिस्ट्री:** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुरक्षित:
 - भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र
 - फसल बोर्ड रजिस्ट्री
 - किसान रजिस्ट्री
- **उद्देश्य एवं लाभ:** सभी किसानों को समय पर फसल संबंधी विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराना।
 - ऋण, बीमा और खरीद जैसे लाभों तक पहुंच के लिए किसानों की डिजिटल पहचान और प्रमाणीकरण में मदद करता है।
 - इनपुट खरीद और उत्पाद बिक्री के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था तक पहुंच प्रदान करता है।

डिजिटल कृषि मिशन(DAM) की हालिया उपलब्धियां (04 अगस्त 2025 तक) -

- **किसान पंजीकरण प्रगति:** सभी भूमिधारी किसानों को कवर करते हुए 7,04,49,809 किसान पहचान संख्या (Farmer IDs) जारी।
- **डिजिटल फसल सर्वेक्षण विस्तार:** रबी 2024-25 के दौरान 492 जिलों में आयोजित, जिसमें 23.5 करोड़ से अधिक भूखंड शामिल।
- **ऋण सुविधा:** किसानों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु किसान पहचान संख्या का उपयोग कर किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जारी किए जा रहे हैं।

स्रोत: [पीआईबी](#)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

संदर्भ

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), भारत ने उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में 3 बच्चों की मौत से संबंधित मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है।

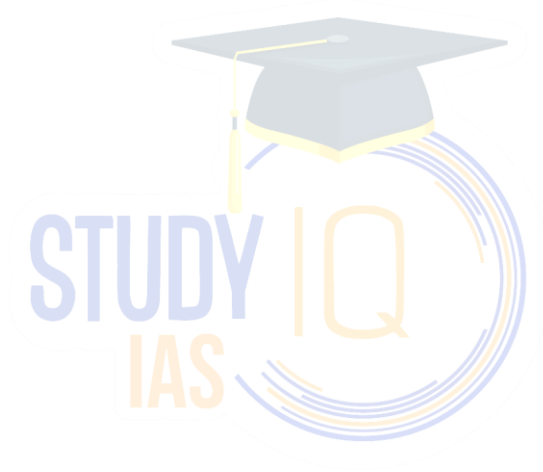
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के बारे में -

- **मुख्यालय:** नई दिल्ली
- **स्थापना:** 1993 में
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA) के तहत, 2006 और 2019 में संशोधित।
- **निकाय:** वैधानिक निकाय।
- **मानवाधिकार की परिभाषा (PHRA के तहत):** जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार, संविधान या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों द्वारा गारंटीकृत, भारतीय न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय।
- **नियुक्ति:**
 - प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर **भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त।**
 - **समिति के सदस्य:** प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, विपक्ष के नेता (लोकसभा और राज्यसभा), राज्यसभा के उपसभापति।
- **संघटन:**
 - **अध्यक्ष:** भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश।
 - **पांच पूर्णकालिक सदस्य:**
 - सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या सेवारत न्यायाधीश।
 - किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या सेवारत मुख्य न्यायाधीश।
 - मानवाधिकारों के क्षेत्र में ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले तीन अन्य सदस्य (कम से कम एक महिला होगी)।
 - **सात मानद सदस्य:** निम्नलिखित के अध्यक्ष:
 - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
 - राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
 - राष्ट्रीय दिव्यांग आयोग
 - राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
 - राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
 - राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
 - राष्ट्रीय महिला आयोग
- **कार्यकाल और निष्कासन:**
 - **कार्यकाल:** 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो)।
 - **पुनर्नियुक्ति:** अध्यक्ष एवं सदस्य पात्र।
 - **निष्कासन:** सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के बाद सिद्ध दुर्व्यवहार/अक्षमता के लिए राष्ट्रपति द्वारा।
- **शक्तियां:** सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत सिविल न्यायालय की शक्तियां:



- गवाहों को तलब करना और शपथ पर पूछताछ करना।
- दस्तावेजों की खोज/उत्पादन की मांग करना।
- शपथपत्र के माध्यम से साक्ष्य प्राप्त करना।
- सार्वजनिक अभिलेखों की मांग करना।
- गवाह/दस्तावेज की जांच के लिए आयोग जारी करना।

स्रोत: [पीआईबी](#)



संपादकीय सारांश

औद्योगिक दुर्घटनाएँ

संदर्भ

तेलंगाना में सिगाची इंडस्ट्रीज में हुए हालिया विस्फोट और तमिलनाडु में पटाखा इकाई की दुर्घटना कोई अलग-थलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये एक गहरे, सतत राष्ट्रीय संकट की अभिव्यक्तियां हैं।

भारत में औद्योगिक दुर्घटनाओं की गंभीरता -

- **उच्च दुर्घटना दर:** कारखानों, निर्माण स्थलों और खदानों में पिछले 5 वर्षों में कम से कम 6,500 श्रमिकों की मृत्यु हुई (प्रतिदिन लगभग 3 मौतें)।
- **बार-बार होने वाली दुर्घटनाएँ:** पंजीकृत कारखानों में हर दो दिन में एक गंभीर दुर्घटना (DGFASLI डेटा)।
- **कुछ राज्यों में संकेन्द्रण:** आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में दुर्घटनाओं की संख्या अधिक है।
- **रासायनिक दुर्घटना हॉटस्पॉट:** 130 से अधिक प्रमुख रासायनिक दुर्घटनाएँ (2020-2022) जिनमें 218 मौतें हुईं।

बार-बार होने वाली दुर्घटनाओं के कारण -

- **विनियामक गैर-अनुपालन:** अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना चल रही फैक्ट्रियां।
 - अनिवार्य अग्निशमन उपकरण और कार्यात्मक अलार्म का अभाव।
- **खराब सुरक्षा संस्कृति:** सुरक्षा को एक अनुपालन औपचारिकता के रूप में देखा जाता है, न कि एक मुख्य औद्योगिक मूल्य के रूप में।
 - कार्य-अनुमति प्रणाली और खतरे की पहचान का अभाव।
- **अपर्याप्त प्रशिक्षण:** प्रवासी और अनुबंधित श्रमिकों में अक्सर सुरक्षा संबंधी जानकारी का अभाव होता है और वे सुरक्षा संबंधी संकेतों को पढ़ नहीं पाते।
- **बुनियादी ढांचे में लापरवाही:** अग्नि निकास मार्ग अवरुद्ध या बंद होना; खतरनाक सामग्रियों का अनुचित भंडारण।
- **कमजोर जवाबदेही:** दुर्लभ दोषसिद्धि; सुरक्षा उल्लंघनों के लिए न्यूनतम दंड।
 - सुरक्षा ऑडिट को केवल टिक-बॉक्स अभ्यास तक सीमित कर दिया गया।
- **आर्थिक दबाव:** कम्पनियों द्वारा लागत में कटौती के कारण सुरक्षा उपायों की उपेक्षा हो रही है।
- **त्रासदी के बाद उपेक्षा का पैटर्न:** दुर्घटना का चक्र → आक्रोश → मीडिया का ध्यान → राजनीतिक दौरा → मुआवजा → चुप्पी।

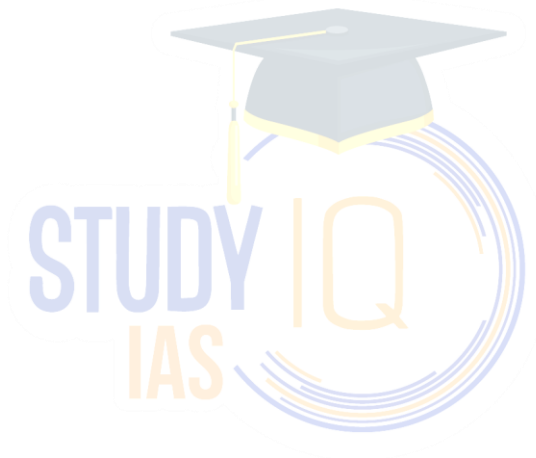
ऐसी घटनाओं का प्रभाव -

- **मानवीय लागत:** कमाने वाले सदस्यों का नुकसान; परिवारों का आघात और गरीबी में धकेला जाना।
 - पीड़ित परिवारों का सामाजिक हाशिए पर होना।
- **आर्थिक हानि:** शटडाउन, उत्पादन में देरी, तथा संयंत्र के बुनियादी ढांचे को नुकसान।
 - मुआवजा भुगतान और कानूनी लागतें।
- **प्रतिष्ठा की क्षति:** कम्पनियों और उद्योगों में विश्वास की हानि।
 - घरेलू और वैश्विक बाजारों में नकारात्मक धारणा।
- **कार्यबल के मनोबल में गिरावट:** श्रमिकों में प्रेरणा में कमी और अधिक पलायन।
- **राष्ट्रीय उत्पादकता हानि:** कमजोर एवं असुरक्षित श्रम शक्ति आर्थिक विकास को प्रभावित करती है।

औद्योगिक दुर्घटनाओं से बचने के उपाय -

- **कानूनी ढांचे को मजबूत करना:** दक्षिण कोरिया/सिंगापुर की तरह कॉर्पोरेट हत्या कानून लागू करना ताकि शीर्ष अधिकारियों को आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सके।
- **अनुपालन लागू करना:** सार्वजनिक प्रकटीकरण के साथ अनिवार्य तृतीय-पक्ष सुरक्षा ऑडिट।
 - सुरक्षा प्रमाणपत्र के बिना संचालन करने पर कठोर दंड।
- **सुरक्षा को मुख्य मूल्य के रूप में शामिल करना:** जर्मनी/जापान की प्रथाओं से प्रेरित होकर, औद्योगिक डिजाइन में सुरक्षा को एकीकृत करना।
- **श्रमिक प्रशिक्षण एवं समावेशन:** प्रवासी एवं ठेका श्रमिकों के लिए बहुभाषी सुरक्षा प्रशिक्षण।
 - नियमित मॉक ड्रिल और खतरे के प्रति जागरूकता कार्यक्रम।
- **डिजिटलीकरण एवं पारदर्शिता:** वास्तविक समय जोखिम रिपोर्टिंग के लिए एक राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा डैशबोर्ड बनाना।
 - चूकों की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने के लिए व्हिसिलब्लोअर को संरक्षण प्रदान करना।
- **सांस्कृतिक परिवर्तन:** "अनुपालन मानसिकता" से रोकथाम-प्रथम मानसिकता की ओर बदलाव।
 - श्रमिक सुरक्षा अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सार्वजनिक अभियान।

स्रोत: [द हिंदू](#)



ECI के कामकाज में प्रणालीगत खामियां

संदर्भ

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारतीय चुनाव आयोग (ECI) पर "आपराधिक धोखाधड़ी" के गंभीर आरोप लगाए हैं।

विपक्ष के नेता (राहुल गांधी) द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोप -

- **महादेवपुरा (बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र) में फर्जी मतदाता पंजीकरण**
 - 2024 के आम चुनाव में भाजपा के पक्ष में कथित तौर पर 1 लाख से अधिक फर्जी वोट बनाए गए।
- **कथित चुनावी कदाचार की पाँच श्रेणियाँ**
 - एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक ही मतदाता का एक से अधिक बार पंजीकरण होना।
 - विभिन्न राज्यों में समान **EPIC** (मतदाता फोटो पहचान पत्र) संख्या।
 - एक ही पते पर मतदाताओं की बड़ी संख्या (अविश्वसनीय घनत्व)।
 - बरामद बूथ पर्चियों के आधार पर, एक ही बूथ पर एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक वोट।
 - गणना की गई कार्यप्रणाली के भाग के रूप में सीमांत निर्वाचन क्षेत्रों में पैटर्न दोहराया गया।

भारत के चुनाव आयोग के साथ अंतर्निहित मुद्दे -

- **मतदाता सूची प्रबंधन:** स्व-घोषणा पर अत्यधिक निर्भरता; कमजोर सत्यापन तंत्र।
 - मतदाता सूचियों के लिए खोजने योग्य प्रारूप के बजाय भारी-भरकम इमेज पीडीएफ, जिससे सत्यापन कठिन हो जाता है।
 - घर-घर जाकर अपर्याप्त सत्यापन के कारण नाम जोड़ने और हटाने में त्रुटियाँ हो रही हैं।
 - गलत तरीके से नाम हटाने का जोखिम (उदाहरण के लिए, बिहार में पुरुष-प्रधान प्रवासन पैटर्न के बावजूद एसआईआर अभ्यास में महिला मतदाताओं का अधिक संख्या में नाम हटाना)।
- **पारदर्शिता और डेटा तक पहुंच:** ECI रक्षात्मक रुख अपनाते हुए अनावश्यक रूप से "शपथ के तहत" साक्ष्य की मांग कर रहा है।
 - प्रक्रियाओं और प्रणालियों की बाह्य जांच को अपनाने में अनिच्छा।
- **चुनावी प्रक्रिया सुरक्षा उपाय:**
 - **VVPAT सत्यापन:** छोटे, सांख्यिकीय रूप से महत्वहीन नमूनों तक सीमित।
 - **EVM सुरक्षा उपाय:** स्वतंत्र विशेषज्ञ ऑडिट का प्रतिरोध; प्रतीक लोडिंग में अपर्याप्त सुरक्षा।
 - **सीसीटीवी फुटेज:** ऑडिट प्रयोजनों के लिए बूथ फुटेज को बनाए रखने की अनिच्छा।
 - **मतदान के आंकड़े:** अंतिम आधिकारिक आंकड़े प्रकाशित करने में देरी।
- **अभियान एवं आचरण विनियमन:** अभियान वित्त नियमों और आदर्श आचार संहिता का कमजोर प्रवर्तन।
- **संस्थागत स्वतंत्रता:** चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिशों के बावजूद भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल नहीं किया गया है - जिससे निष्पक्षता के बारे में धारणा संबंधी प्रश्न उठते हैं।

आगे की राह -

- **मतदाता सूची सुधार:** घर-घर जाकर सत्यापन के माध्यम से व्यापक मतदाता सूची ऑडिटिंग।
 - मतदाता सूची के लिए संरचित, खोज योग्य डिजिटल प्रारूपों को अपनाना।
 - डुप्लिकेट का पता लगाने के लिए आवधिक क्रॉस-स्टेट डेटाबेस मिलान।
 - हाशिये पर पड़े मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाने से रोकने के लिए विशेष उपाय।
- **प्रक्रिया पारदर्शिता बढ़ाना:** निश्चित समय-सीमा के भीतर मतदान के आंकड़े प्रकाशित करना।
 - सीसीटीवी बूथ के फुटेज को उचित ऑडिट अवधि तक सुरक्षित रखना।

- अधिक विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए **VVPAT** सत्यापन को सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण बनाना।
- **तकनीकी सुरक्षा उपायों को मजबूत करना:** स्वतंत्र तृतीय-पक्ष **EVM** और **VVPAT** ऑडिट।
 - सभी **EVM** कमांडों के लिए व्यापक ऑडिट ट्रेल और प्रतीक लोडिंग के लिए सुरक्षित प्रोटोकॉल।
- **निगरानी और जवाबदेही को मजबूत करना:** चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों में मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने की सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश को लागू करना।
 - चुनावी प्रक्रिया सुधारों के लिए बहु-हितधारक परामर्श मंच स्थापित करना।
 - अभियान वित्त पारदर्शिता और एमसीसी अनुपालन का सशक्त प्रवर्तन।
- **संस्थागत संस्कृति में परिवर्तन:** ECI को जांच को एक लोकतांत्रिक आवश्यकता के रूप में स्वीकार करना चाहिए, न कि एक हमले के रूप में।
 - निष्पक्षता में विश्वास पैदा करने के लिए सक्रिय सार्वजनिक संचार।

स्रोत: [द हिंदू](#)

